उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या–13/2/97–का–1–2013
लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल, 2013

दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4–प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

6–प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

7–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

8–सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

9–मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।

10–निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

11–वेब मास्टर/वेब अधिकारी, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।

12–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जे0 पी0 एन0 द्विवेदी,
उप सचिव।

क्रम-संख्या–111

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०-
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 अप्रैल, 2013

बैशाख 4, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/2 / 97–का–1-2013
लखनऊ, 24 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–29

संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–4 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**		स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**	
4–यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हों और पात्रता के क्षेत्र में	अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण	4–यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हों और पात्रता के क्षेत्र में,	अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण	अपेक्षित संख्या में, पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, सरकार के प्रशासनिक विभाग, सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से, यथास्थिति, उक्त निम्नतर पद या पदों पर, यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, ऐसी विहित न्यूनतम सेवा अवधि में, पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।	अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण	अपेक्षित संख्या में, पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से, यथास्थिति, उक्त निम्नतर पद या पदों पर, यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, सेवा की ऐसी विहित न्यूनतम अवधि में, पचास प्रतिशत तक यथोचित शिथिलता प्रदान की जा सकती हैं : परन्तु यह कि :– (एक) विशेष परिस्थितियों में, यदि प्रशासनिक विभाग पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर विहित सेवा की न्यूनतम अवधि में पचास प्रतिशत से अधिक की शिथिलता प्रदान करने का औचित्य पाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा, कार्मिक विभाग के माध्यम से, एक समुचित प्रस्ताव, निम्न प्रकार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा:– (1) मुख्य सचिव ....अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग...सदस्य (3) संबंधित प्रशासनिक विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव ....सदस्य (दो) और, समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुतियों को कार्मिक विभाग के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को संसूचित किया जायेगा और तत्पश्चात, पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर विहित की गई सेवा की न्यूनतम अवधि को उपर्युक्त संस्तुतियों के अनुसरण में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकता है: परन्तु अग्रतर यह कि, दिनांक 01 मई, 2012 को या तत्पश्चात् सुसंगत सेवा नियमावलियों में, किसी संशोधन द्वारा सम्मिलित किये गये, पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा अवधि में शिथिलीकरण संबंधी उपबन्ध, ऐसे संशोधन के प्रारंभ के दिनांक से निकाल दिये गये समझे जायेगें, किन्तु ऐसे निकाल दिये जाने के होते हुए भी, दिनांक 01 मई, 2012 को या तत्पश्चात् और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारम्भ के दिनांक से पूर्व, ऐसी संशोधित सेवानियमावलियों के अनुसरण में की गई पदोन्नतियां अप्रभावित रहेंगी।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.13/2/97-ka-1-2013, dated April 24,2013 :

No. 13/II-97-Ka–1–2013

Dated Lucknow, April 24, 2013

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2006:

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS RELAXATION IN QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION (FIRST AMENDMENT) RULES, 2013

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion (First Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2006, *for* existing rule 4 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*	
Relaxation in qualifying service	4. In case a post is filled by promotion and for such promotion a certain minimum length of service is prescribed on the lower post or posts, as the case may be, and the required number of eligible persons are not available in the field of eligibility, such prescribed minimum length of service may be suitably relaxed up to fifty percent by the Government in the Administrative Department in consultation with the Personnel Department of the Government, excluding the period of probation as laid down for the said lower post or posts, as the case may be.	Relaxation in qualifying service	4. In case a post is filled by promotion and for such promotion a certain minimum length of service is prescribed on the lower post or posts, as the case may be, and the required number of eligible persons are not available in the field of eligibility, such prescribed minimum length of service may be suitably relaxed upto fifty percent by the Government in the Administrative Department in consultation with the Personnel Department of the Government, excluding the period of probation as laid down for the said lower post or posts, as the case may be: Provided that :- (I) if in special circumstances, the Administrative Department finds out the justification of granting more than fifty percent relaxation in the minimum length of service prescribed on the lower post or posts as the case may be, for promotion, then in such situation a proper proposal shall be submitted by the Administrative Department through the Personnel Department before the Committee constituted as follows : (i) Chief Secretary......*Chairman*

COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Relaxation in qualifying service	Relaxation in qualifying service	(ii) Principal Secretary/ Secretary, Personnel Department...............*Member* (iii) Principal Secretary/ Secretary to the Government in the concerned Administrative Department ....*Member* (II) and, the recommendation made by the Committee after due consideration, shall be communicated to the concerned Administrative Department through the Personnel Department and, thereafter, the minimum length of service prescribed on the lower post or posts, as the case may be, for promotion may be relaxed in accordance with the aforesaid recommendation by the concerned Administrative Department : Provided further that provisions regarding relaxation in qualifying service for promotion incorporated by an amendment in the relevant service rules on or after May 01, 2012 shall, from the date of the commencement of such amendment, be deemed to have been omitted but, notwithstanding such omission, the promotions made in accordance with such amended service rules on or after May 01, 2012 and prior to the date of the commencement of the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion (First Amendment) Rules, 2013 shall remain unaffected.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 76 राजपत्र (हि०)–2013–(132)–599 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा० नियुक्ति–2013–(133)–4000 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।